संख्या– 101 /IX /2011/78/2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 मई, 2011

विषय– राजकीय वायुयानों/हैलीकाप्टरों के स्पेयर पार्टस क्रय/अनुरक्षण/रिपेयर तथा आयल/लुब्रिकैन्टस/ए0टी0एफ0 आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनराशि अग्रिम के रूप में आहरण का अधिकार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5773/रा0ना0उ0नि0/इंजी0/ई0–2/2011 दिनांक 01–04–2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजकीय वायुयानों/हैलीकाप्टर्स के लिए निर्माता फर्मो/विदेशी कम्पनियों अथवा उनके द्वारा भारत में स्थित अधिकृत फर्मो से स्पेयर पार्ट्स क्रय/अनुरक्षण/रिपेयर आदि कार्यो के लिए होने वाले व्यय/क्रय हेतु किसी एक मामले में एक बार में रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) अथवा आवश्यक पुर्जो का मूल्य, जो भी कम हो, की सीमा के अन्तर्गत तथा आयल/लुब्रिकैन्ट/ए0टी0एफ0 आदि क्रय के लिए भारत सरकार के उपक्रम मै0 इण्डियन आयल कारपोरशन को भी जोड़ते हुए किसी एक मामले में एक बार में रू0 7.50 लाख अथवा आवश्यक आयल/लुब्रिकैन्ट/ए0टी0एफ0 का मूल्य जो भी कम हो, की सीमा में धनराशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत कर समायोजन करते हुए नियमानुसार आहरित करने का अधिकार निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड को इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम–22 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 02–07–2008 एवं प्रस्तर–1 में उल्लिखित पूर्ववर्ती शसनादेशों की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

3– उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आहरित अग्रिमों का समायोजन दिनांक 31–03–2012 से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय। इस वित्तीय वर्ष की अग्रिम की सीमा का उपयोग विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अग्रिमों के सामयोजन के बाद ही किया जायेगा।

4– यह अधिकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 अर्थात दिनांक 31–03–2012 तक की अवधि के लिए ही प्रभावी होगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–155/XXVII(7)/2011 दिनांक 25 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव,